भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-2640**
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

**अधिगम के लिए समग्र दृष्टिकोण**

2640. **श्रीमती संजना जाटव:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि अधिगम और आजीविका के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु नए शैक्षिक परिदृश्य में कौशल-आधारित शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणालियों में एकीकृत किया जाना चाहिए; और
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) और (ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में कौशल शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने और कौशल शिक्षा को मुख्यधारा में लाने की सिफारिश की गई है। केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' के कौशल शिक्षा घटक के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) से जुड़े कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा IX और X में, छात्रों को अतिरिक्त विषय के रूप में कौशल मॉड्यूल प्रदान किए जाते हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर अर्थात XI और XII में, कौशल पाठ्यक्रम अनिवार्य (इलैक्टिव) विषय के रूप में प्रदान किए जाते हैं। समग्र शिक्षा के नवाचार घटक के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा का प्रदर्शन, 10 थैला रहित दिन आदि शामिल किए गए हैं। संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल सहित रोजगार कौशल मॉड्यूल को नौकरी भूमिकाओं (जेआर) के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

एनईपी 2020 में यह भी सिफारिश की गई है कि सभी छात्र कक्षा 6-8 के दौरान 10-दिवसीय थैला रहित अवधि में भाग लें, जहाँ वे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि जैसे

स्थानीय विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप करते हैं। इस सिफारिश के अनुसरण में, सरकार ने संबंधित हितधारकों के परामर्श से 10 थैला रहित दिनों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य कक्षा 6-8 के बच्चों को अनुभवात्मक शिक्षण पद्धति का उपयोग करके कौशल शिक्षा प्रदान करना और स्कूलों में अधिगम को आनंदमय और तनाव मुक्त बनाना है। ये दिशानिर्देश https://www.psscive.ac.in/storage/uploads/others/Guidelines/pdf/english/guidelines-for-implementation-of-10-bagless-days-in-school-english.pdf पर उपलब्ध हैं।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अधिसूचित किया गया था और इसकी एक प्रति https://www.ugc.gov.in/pdfnews/9028476_Report-of-National-Credit-Framework.pdf पर उपलब्ध है।

एनसीआरएफ को लागू करने के लिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों में एनसीआरएफ के संचालन को लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित की है। इस अधिसूचना की एक प्रति https://cbseacademic.nic.in/web_material/Notifications/2023/75_Notification_2023.pdf पर देखी जा सकती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उपरोक्त सीबीएसई-एसओपी को मॉडल के रूप में लेकर अपनी स्वयं की एसओपी विकसित करने की भी छूट दी गई थी।

*****